




अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना

श्री गुरुदीप सिंह सलूजा पिता श्री जसबीर सिंह वार्ड क्र. 14 पिथौरा जिला महासमुन्द जाति सिक्ख उम्र 27 वर्ष को अल्पसंख्यक टर्मलोन योजनांतर्गत रूपये 100,000/-का ऋण वित्तीय वर्ष 2011-12 में दिया गया है इनके द्वारा विडियों ग्राफी एवं फोटोग्राफी का व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है एवं इसी व्यवसाय से परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इनके ऋण का मासिक किष्ट रूपये 1873/- है । जब से इन्हें ऋण दिया गया है उनकी मासिक आय पांच हजार के बढ़कर आठ हजार से दस हजार तक हो गया है। उन्होंने अपने दुकान में दो लोगों को रोजगार भी दिया है।



अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना

श्री नजीर खां पिता श्री सहादर खां उम्र 45 वर्ष ग्राम कांपा पो. बिरकोनी तह.जिला महासमुन्द को अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना के तहत रूपये 100,000/- का ऋण मसाला उद्योग के लिए दिया गया है ऋण लेने के पश्चात् श्री नजीर खां प्रतिमाह रूपये दस से पंद्रह हजार का आय प्राप्त कर रहा है उनके द्वारा प्रतिमाह रूपये 1873 का किस्त नियमित रूप से अदा किया जा रहा है। आज वह रूपये 100,000/- का ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर खुष है।



अल्पसंख्यक टर्म लोन

श्री जान मोहम्मद पिता श्री रमजान मोहम्मद उम्र 25 वर्ष ग्राम सेवैयाकला पो. पिथौरा तह. पिथौरा जिला महासमुन्द को अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना के अंतर्गत रूपये 100,000/- का ऋण चूड़ी एवं फैंसी व्यावसाय के लिए दिया गया है। वह रूपये 100,000 के पूंजी से अपने स्वयं के रूची के व्यवसाय प्रारंभ करके प्रतिमाह रूपये 12000 के लगभग आमदनी प्राप्त कर रहा है हितग्राही द्वारा प्रतिमाह रूपये 1873 नियमित ऋण की किस्त जमा की जा रही है। श्री जान मोहम्मद के इस व्यवसाय में परिवार के अन्य सदस्य उन्हें सहयोग करते है और इस व्यवसाय से अपने परिवार का भरण पोषण एवं सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर रहे।



अल्पसंख्यक टर्म लोन

श्री एजाज खान पिता श्री जहुर खां ग्राम पो. पिथौरा जिला महासमुन्द को अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना के तहत पोल्ट्री फार्म व्यवसाय के लिए रूपये 100,000/- का ऋण दिया गया है इस व्यवसाय से तीन बेरोजगारों को रोजगार भी दिया गया है। वह रूपये 100,000 के पूंजी से अपने स्वयं के रूची के व्यवसाय प्रारंभ करके प्रतिमाह रूपये 14000 के लगभग आमदनी प्राप्त कर रहा है हितग्राही द्वारा प्रतिमाह रूपये 1873 नियमित ऋण की किस्त जमा की जा रही है। श्री एजाज खान के इस व्यवसाय में परिवार के अन्य सदस्य उन्हें सहयोग करते है और इस व्यवसाय से अपने परिवार का भरण पोषण करते है।




अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना

श्री परमीतसिंह माटा पिता श्री जगजीत सिंह माटा वार्ड क्र. 15 बस स्टैण्ड के सामने पिथौरा जिला महासमुन्द उम्र 23 वर्ष जाति सिक्ख को अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना के तहत रुपये 50,000/-का ऋण जूता चप्पल व्यावासाय के लिए दिया गया है इस व्यावसाय में परिवार के अन्य सदस्य को भी रोजगार मिला हुआ है। परमीत सिंह माटा को इस व्यवसाय से प्रतिमाह दस से पंद्रह हजार रुपये की आमदनी प्राप्त हो रही है एवं उनके द्वारा प्रतिमाह मासिक किस्त रुपये 935/- नियमित रूप से चुकाई जा रही है।




अल्पसंख्यक टर्म लोन

श्री शेख हफीज शकील पिता श्री शेख फरीद उम्र 36 वर्ष ग्राम सुवरमार पो. कोमाखान तह. बागबाहरा जिला महासमुन्द को अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना के अंतर्गत रूपये 100,000/- का ऋण आटो पार्ट्स व्यावसाय के लिए दिया गया है। वह रूपये 100,000 के पूंजी से अपने स्वयं के रूची के व्यवसाय प्रारंभ करके प्रतिमाह रूपये 14000 के लगभग आमदनी प्राप्त कर रहा है हितग्राही द्वारा प्रतिमाह रूपये 1873 नियमित ऋण की किस्त जमा की जा रही है। श्री शेख हफीज के इस व्यवसाय में परिवार के अन्य सदस्य उन्हें सहयोग करते हैं और इस व्यवसाय से अपने परिवार का भरण पोषण एवं सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं।



अल्पसंख्यक टर्म लोन

श्री अब्दुल हमीद खां पिता श्री अब्दुल रसीद खां बाजार पारा वार्ड क्र. 10 बसना जिला महासमुन्द को अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना के अंतर्गत रूपये 100,000/- का ऋण लेथ मशीन के लिए दिया गया है। वह रूपये 100,000 के पूंजी से लेथ मशीन लेकर अपने स्वयं के रूची के व्यवसाय प्रारंभ करके प्रतिमाह रूपये 16000 के लगभग आमदनी प्राप्त कर रहा है हितग्राही द्वारा प्रतिमाह रूपये 1873 नियमित ऋण की किस्त जमा की जा रही है। श्री अब्दुल हमीद खां के इस व्यवसाय से अपने परिवार का भरण पोषण करते है।



अनुसूचित जनजाति ट्रेक्टर ट्राली योजना

श्री मिलन सिंह धुव पिता श्री फूल सिंह धुव, जाति गोंड उम्र 30 वर्ष ग्राम ढोड़ पो.तमोरा तह. बागबाहरा जिला महासमुन्द का निवासी है। इन्हें ऋण का वितरण दिसम्बर 2015 में किया है ट्रेक्टर एवं ट्राली के लिए रुपये 839000/- का ऋण दिया गया जिसमें हितग्राही 5 प्रतिषत राशि भी शामिल है। ट्रेक्टर एवं ट्राली ऋण पर दिये जाने के पश्चात् उनके आय में वृद्धि हुई है इनके द्वारा कृषि कार्य के अतिरिक्त ट्राली से परिवहन का कार्य भी किया जाता है। वार्षिक आय में वृद्धि होने से गांव एवं समाज में श्री मिलन सिंह धुव की अच्छी इज्जत है।



अनुसूचित जनजाति माल वाहक योजना

श्री चन्द्रषेखर ध्रुव पिता श्री नोहर सिंह ध्रुव, जाति गोंड उम्र 42 वर्ष ग्राम अमलोर पो.पासिद तह.जिला महासमुन्द को माल वाहक योजना के अंतर्गत बोलेरो पिकअप ऋण के रूप में रूपये 626000/- दिया गया है इससे माल वाहक योजना से प्रतिमाह पंद्रह हजार से बीस हजार की आमदनी प्राप्त हो रही है हितग्राही द्वारा प्रति माह रूपये 11047/- का किस्त नियमित रूप से जमा कर रहा है। श्री चन्द्रषेखर ध्रुव सफलतापूर्वक यह व्यवसाय संपन्न कर रहा है। जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।



अनुसूचित जाति ट्रेक्टर ट्राली योजना

श्री लक्ष्मण कुमार रात्रे पिता श्री करम सिंह रात्रे, जाति सतनामी, उम्र 47 वर्ष ग्राम कोलियारीडीह पो. भंवरपुर तह. बसना जिला महासमुन्द का निवासी है। इन्हें ऋण का वितरण जनवरी 2016 में किया है ट्रेक्टर एवं ट्राली के लिए रूपये 839000/- का ऋण दिया गया जिसमें हितग्राही 5 प्रतिषत राशि भी शामिल है। ट्रेक्टर एवं ट्राली ऋण पर दिये जाने के पश्चात् उनके आय में वृद्धि हुई है इनके द्वारा कृषि कार्य के अतिरिक्त ट्राली से परिवहन का कार्य भी किया जाता है। वार्षिक आय में वृद्धि होने से गांव एवं समाज में श्री लक्ष्मण कुमार रात्रे की अच्छी इज्जत है।



अनुसूचित जनजाति माल वाहक योजना

श्री अनिल नाग पिता श्री बंशीलाल नाग, जाति गोंड उम्र 43 वर्ष ग्राम कोलिहादेवरी पो.गनेकेरा तह. बसना जिला महासमुंद को माल वाहक योजना के अंतर्गत बोलेरो पिकअप ऋण के रूप में रुपये 626000/- दिया गया है इससे माल वाहक योजना से प्रतिमाह पंद्रह हजार से बीस हजार की आमदनी प्राप्त हो रही है हितग्राही द्वारा प्रति माह रुपये 11047/- का किस्त नियमित रूप से जमा कर रहा है। श्री अनिल नाग सफलतापूर्वक यह व्यवसाय संपन्न कर रहा है। जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।